न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 32/2025

बउनवान

श्री रामचरण पुत्र श्री शंकरलाल आयु 72 वर्ष जाति माली निवासी डाबरी काकजी तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 15.12.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 17.02.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम डाबरी काकाजी तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 0.39 है., किस्म–बारानी । पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 17.02.2025 को निर्णय पारित कर 156/–रूपये शास्ति आरोपित कर तीस दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो खेतीबाड़ी करने में सक्षम नहीं है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है। विवादित आराजी बाबत अपीलांट द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों में की गई कार्यवाहियां जैरकार हैं जिनमें राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी अपीलांट के नाम नियमन करने की अनुशंषा की है। उक्त आराजी के लिये अपीलांट ने हक घोषणा का वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में पेश किया हुआ है जो जैरकार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2025 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

की आराजी खसरा नं0 6 रकबा 0.39 हैक्टे0 का अतिक्रमी मानते

हमने बहस अभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो खेतीबाड़ी करने में सक्षम नहीं है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। विवादित आराजी बाबत अपीलांट द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों में की गई कार्यवाहियां जैरकार हैं जिनमें राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी अपीलांट के नाम नियमन करने की अनुशंषा की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2080 में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 113/24 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 6 रकबा 0.39 है0 किस्म बारानी ग्राम डाबरी काकजी पर सम्वत् 2080 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 113/2024 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 56/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:25 IST
Reason: SelfAttested

की आराजी खसरा नं0 6 रकबा 0.39 हैक्टे0 का अतिक्रमी मानते हुये